रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 1989/ज्येष्ठ 3, 1911
No. 99] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24 1989/JYAISTHA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 24 मई 1989

सं. एफ. 10 (1)/88-वि.स.स्की. का.स. :—केन्द्रीय सरकार तारीख 8 जून, 1988 के समसंख्यक सरकारी संकल्प के अनुसरण में संकल्प करती है कि विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति की अवधि 14 मई, 1989 से एक वर्ष की और अवधि के लिए

या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का 39) के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन होने तक इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो बढ़ाती है ।

2. केन्द्रीय सरकार अपने संकल्प सं. एफ 6 (14)/86-आई.सी. तारीख 14 मई 1987 का आंशिक उपान्तरण करते हुए यह भी संकल्प करती है कि विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के प्रमुख संरक्षक इसके पश्चात् भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया जाए ।

चि. प्रभाकर राव, विशेष सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 24th May, 1989

No. F. 10 (1) |88-CILAS :—The Central Government, in continuation of the Government Resolution of even number dated 8th June, 1988 hereby resolves that the term of the Committee for Implementing Legal Aid Schemes shall be extended for a period of one year on and from the 14th day of May, 1989 or till the National Legal Services Authority is constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), whichever is earlier.

2. The Central Government, in partial modification of its Resolution No. F. 5 (15) |86-IC, dated the 14th May, 1987, further resolves that the Patron-in-Chief of the Committee for Implementing Legal Aid Scheme shall hereafter be the Chief Justice of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government, State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extra Ordinary for general information.

CH. PRABHAKARA RAO, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989